FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

जगदीश बनाम कुम्भाराम वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट मु.नं. एवं सन 23/2019

2022/196

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
09-02-2023	पत्रावली पेश हुई । प्रकरण वनविभाग भी पक्षकार है और मूलदावा में वनविभाग द्वारा उक्त रकबा वनविभाग को 11.07.1978 को आवंटित बताया है। अतः प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रकरण में मूलदावा के निस्तारण तक स्थगन आदेश जारी करने का निवेदन किया है । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। इतने लम्बे अरसे से प्रकरण जैरकार और स्थगन आदेश ना होने के बावजूद प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहा है कि प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है और प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। अतः प्रार्थी/वादी के हक अधिकारी मूलदावा में तय होने है। इस पत्रावली में वादगत चक 14 पीकेडी मु0नं0 4/26 के किला नं0 1 ता 25 स्थगन दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए उक्त पत्रावली में प्रार्थी स्थगन की मुख्य तीन शर्त साबित करने में असफल रहने व पत्रावली सारहीन होने के कारण धारा 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे खारिज की जाती है। आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफतर हो।	